संख्या-59/सीपी 445/84-2-2013-3(सम0)/2008

प्रेषक,

बी0 एम0 मीना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 07 जुलाई, 2014

विषय वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के सन्दर्भ में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के लिपिकीय संवर्ग के पदों का पदनाम व वेतनमान आदि निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 3173/एस.सी.डी.आर.सी./अधि.95/10, दिनांक 29 नवम्बर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2053/दस-54(एम)/2008 टीसी, दिनांक 08.09.2010, संख्या-वे0आ0-2-401/दस- 54(एम)/2008 टीसी, दिनांक 18.03.2011 एवं संख्या-वे0आ0-2-2105/दस-54(एम)/2008 टीसी, दिनांक 22.12.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की राजकीय विभागों के लिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश एवं जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरमों के लिपिक संवर्ग में इस शासनादेश के साथ अनुलग्नक-1 के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पदनाम के समक्ष स्तम्भ-3 में अंकित पदों की संख्या, स्तम्भ-4 में अंकित वेतन बैंड, स्तम्भ-5 में अंकित ग्रेड वेतन एवं स्तम्भ-6 में अंकित भर्ती/पदोन्नति का स्रोत को अनुलग्नक-2 के स्तम्भ-2 के अनुसार पदनाम, स्तम्भ-3 के अनुसार पदों की संख्या, स्तम्भ-4 के अनुसार वेतन बैण्ड, स्तम्भ-5 के अनुसार ग्रेड वेतन तथा स्तम्भ-6 के अनुसार पदों को भरे जाने/पदोन्नति की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए शासनादेश दिनांक 18.03.2011 के क्रम में दिनांक 18.03.2011 से तथा शासनादेश दिनांक 22.11.2011 के क्रम में अनुलग्नक-3 के स्तम्भ-2 के अनुसार पदनाम, स्तम्भ-3 के अनुसार पदों की संख्या, स्तम्भ-4 के अनुसार वेतन बैण्ड, स्तम्भ-5 के अनुसार ग्रेड वेतन तथा स्तम्भ-6 के अनुसार (मात्र राज्य आयोग हेतु) पदों को भरे जाने/पदोन्नति की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए दिनांक 22.12.2011 से, प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उपर्युक्त संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप उच्च ग्रेड वेतन के सापेक्ष समायोजित होने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

4. लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-44/दस-54(एम)/2008 टीसी दिनांक 17 जनवरी, 2014 तथा शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-47/दस-54(एम)/2008 टीसी दिनांक 20 जनवरी, 2014 में की गई व्यवस्था को सेवानियमावली में परन्तुक के माध्यम से लाया जायेगा।

5. उक्त शासनादेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-448/दस-2014, दिनांक 03.06.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

7/7/2014

(बी0 एम0 मीना)

प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-59/सीपी 445(1)/84-2-2013-3(सम0)/2008, तद-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4. वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
7. समस्त जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
8. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग 1/2, उ0प्र0 शासन।
10. उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
11. कार्मिक नियमावली सेल, उ0 प्र0 शासन।

......3......

शासनादेश संख्या-सीपी 445/84-2-2013-3(सम0)/2008, दिनांक 07.07.2014 का संलग्नक

अनुलग्नक-1

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0।

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	पुनरीक्षित संरचना में वेतनमान		भर्ती/पदोन्नति का स्रोत
			वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	
1	2	3	4	5	6
1.	कनिष्ठ लिपिक	21	5200-20200	1900	(क) अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ख) बीस प्रतिशत समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह 'ग' के निम्नतम् श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली 2001 के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'घ' के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा
2.	वरिष्ठ लिपिक	01	5200-20200	2400	मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा
3.	नाजिर कम स्टोर कीपर	01	5200-20200	2400	--तदैव--
4.	रीडर	10	5200-20200	2400	--तदैव--
5.	वरिष्ठ सहायक	01	5200-20200	2800	मौलिक रूप से नियुक्त रीडरों वरिष्ठ लिपिकों और नाजिर कम स्टोर लिपिकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के पथम दिवस को इस रूप में

					दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा
6.	कार्यालय अधीक्षक	02	9300-34800	4200	मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ सहायकों में से पदोन्नति द्वारा
7.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित)	01	9300-34800	4600	मौलिक रूप से नियुक्त कार्यालय अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा
8.	सहायक निबन्धक (राजपत्रित)	01	9300-34800	4800	मौलिक रूप से नियुक्त कार्यालय अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा। (शासनादेश संख्या सीपी 264/84-2-2011-3(सम0)/2008 दिनांक 01.6.2011 द्वारा सहायक निबन्धक का वेतनमान संशोधित/उच्चीकृत करते हुए 9300-34800 ग्रेड वेतन 4800 किया गया है।)
	योग	38			

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	पुनरीक्षित संरचना में वेतनमान		भर्ती/पदोन्नति का स्रोत
			वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	
1	2	3	4	5	6
1.	कनिष्ठ लिपिक	79	5200-20200	1900	((क) अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ख) बीस प्रतिशत समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह 'ग' के निम्नतम् श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती)

					नियमावली 2001 के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'घ' के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा।
2.	रीडर	79	5200 - 20200	2400	मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
	योग	158			

<u>अनुलग्नक-2</u>

<u>राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0।</u>

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	पुनरीक्षित संरचना में वेतनमान		भर्ती/पदोन्नति का स्रोत
			वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	
1	2	3	4	5	6
1	कनिष्ठ सहायक	21	रू 5200-20200	2000	(क) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से। <u>अर्हता-</u> इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण-पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (ख) 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा, जो हाईस्कूल हो तथा

					टंकण ज्ञान रखते हों। (ग) 05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों।
2	वरिष्ठ सहायक	13	रू 5200-20200	2800	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।
3	प्रशासनिक अधिकारी	02	रू 9300-34800	4200	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से।
4	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित)	01	9300-34800	4800	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से।
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,निबन्धन (राजपत्रित)	01	9300-34800	4800	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से!
	योग	38			

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन		भर्ती/पदोन्नति का स्रोत
			वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	
1	2	3	4	5	6
1	कनिष्ठ सहायक	79	रू 5200-20200	2000	(क) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से। <u>अर्हता-</u> इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता

					प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण-पत्र तथा हिन्दी/ अंग्रेजी में कम से कम क्रमश:25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (ख) 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों। (ग) 05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों।
2	वरिष्ठ सहायक	79	रू 5200-20200	2800	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।
	योग	158			

अनुलग्नक-3

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0।

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	पुनरीक्षित संरचना में वेतनमान		भर्ती/पदोन्नति का स्रोत
			वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	
1	2	3	4	5	6
1	कनिष्ठ सहायक	21	रू 5200-20200	2000	(क) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से। अर्हता- इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण-पत्र तथा हिन्दी/

					अंग्रेजी में कम से कम क्रमश:25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (ख) 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा, जो हाईस्कूल हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों। (ग) 05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों।
2	वरिष्ठ सहायक	12	रू 5200-20200	2800	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।
3	प्रधान सहायक	01	रू 9300-34800	4200	वरिष्ठ सहायक से शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।
4	प्रशासनिक अधिकारी	02	रू 9300-34800	4600	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से।
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित)	01	9300-34800	4800	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से।
6	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,निबन्धन (राजपत्रित)	01	9300-34800	4800	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से।
	योग	38			

Hchandra

(हरिश्चन्द्र)

अनु सचिव